

**न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाडा (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव (आई.ए.एस.)**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026 (जीसीएमएस 2026/6) राज्य बनाम धारा सिंह वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03-02-2026	<p>उपस्थित –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>श्री अर्जुन मकवाना, अधिवक्ता</li> <li>श्रीमती किरण मीणा, अभियोजन अधिकारी</li> </ol> <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995</p> <p align="center"><u>आदेश</u></p> <p align="right">दिनांक 03-02-2026</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र वाहन स्वामी प्रार्थी धारा सिंह उर्फ टेनिया पुत्र श्री धुलजी कटारा निवासी नाहरपुरा, खेजडा पुलिस थाना थान्दला जिला झाबुआ (म.प्र.) के वाहन महिन्द्रा बोलेरो पीकअप रजिस्ट्रेशन सं. <b>MP45 G 2249</b> जो भार साधक अधिकारी, पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. <b>01/2026</b> अपराध अन्तर्गत धारा 4,5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम एवं धारा 281 बी.एन.एस के तहत जब्त किया था को सुपूर्दगी बाबत् प्रस्तुत किया है।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा से वाहन के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>दिनांक <b>03.02.2026</b> थानाधिकारी पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा की रिपोर्ट मय अनुसंधान पत्रावली के साथ प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि दिनांक 31.12.2025 को वाहन महिन्द्रा बोलेरो पीकअप रजिस्ट्रेशन सं. <b>MP45 G 2249</b> से गौवंश परिवहन के दौरान हिण्डोलिया खुर्द के पास कुशलगढ से थान्दला रोड पर दुर्घटना ग्रस्त हुआ। मौके पर से एक बड़ी गाय व एक बछड़ा जिन्दा जिसके शरीर पर चोटे लगी हुई व दो मृत बछड़े जिन्हे गांव बगायचा घाटा के पास नीचे फेके गये थे मृत अवस्था में पडे हुए मिले। श्री पारु पिता दहलेंग जाति भील निवासी हाथिया दिल्ली थाना कुशलगढ एवं उनके साथियों द्वारा अवैध रूप से बिना अनुज्ञापत्र गोवंश को टुस टुस कर वाहन में भरना एवं परिवहन करना एवं दुर्घटना करने से उनकी मृत्यु हो जाना एवं चोटे पहुंचाने से अपराध अन्तर्गत धारा 4,5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम एवं धारा 281 बी.एन.एस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस वाहन के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।</p> <p>हस्तगत प्रकरण के पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट <b>01/2026</b> में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित स्थिति में प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन</p>	

  
**जिला कलक्टर**  
**बांसवाडा (राज.)**

या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावे।

इस पर वाहन स्वामी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपूर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश परिवहन नहीं किया जा रहा था, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या **MP45 G 2249** को रिलीज कराने की कृपा करावे। इसी इशतदुआ के साथ वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में पुलिस की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 31.12.2025 को गौवंश परिवहन के दौरान हिण्डोलिया खुर्द के पास कुशलगढ से थान्दला रोड पर दुर्घटना ग्रस्त हुआ। मौके पर से एक बड़ी गाय व एक बछड़ा जिन्दा जिसके शरीर पर चोटे लगी हुई व दो मृत बछड़े जिन्हे गांव बगायचा घाटा के पास नीचे फेके गये थे मृत अवस्था में पडे हुए मिले। श्री पारु पिता दहलेंग जाति भील निवासी हाथिया दिल्ली थाना कुशलगढ एवं उनके साथियों द्वारा अवैध रूप से बिना अनुज्ञापत्र गौवंश को टुस टुस कर वाहन में भरना एवं परिवहन करना एवं दुर्घटना करने से उनकी मृत्यु हो जाना जाहिर किया।

इस प्रकार प्रकरण में असुरक्षित तरीके से गौवंश परिवहन किया जा रहा था, जिससे परिवहनरत गौवंश पर शारीरिक पीडा एवं गम्भीर क्षती कारित हुई है। इस कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 4,5,6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत होना दर्शित है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का चिंतन एवं मनन किया। संशोधित अधिनियम की 2018 की धारा 6 (क) की उपधारा (2) में उपधारा (1) निर्दिष्ट प्रवहन के ऐसे, साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रवहन के साधन के स्वामी को पूर्व में इस परन्तुक के अधिन विकल्प दिया जा चुका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 01/2026 धारा 4,5,6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में वाहन स्वामी धारा सिंह उर्फ टेनिया पुत्र श्री धुलजी कटारा निवासी नाहरपुरा, खेजडा पुलिस थाना थान्दला जिला झाबुआ (म.प्र) द्वारा जुर्माना राशि रुपये 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP45 G 2249** को रुपये 500000/- अक्षरे पाँच लाख रुपया मात्र की जमानतनामा एवं सुपूर्दगीनामा पर निम्नानुसार विहित शर्तों -

जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

1. सक्षम न्यायालय मे दौराने सुनवाई उक्त वाहन किसी अन्य को अन्तरित या हस्तांतरित नही किया जावेगा।
2. सक्षम न्यायालय मे दौराने सुनवाई वाहन के रंग रोगन और मॉडल में परिवर्तन या परिवर्धन नही किया जावेगा।
3. सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त वाहन तलब किये जाने पर वाहन स्वामी/ सुपूर्ददार स्वयं के खर्च पर उक्त वाहन माननीय न्यायालय में पेश करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्तो पर सुपूर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित वाहन स्वामी द्वारा आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/ रसीद व अपेक्षित जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा एक माह की अवधि में प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP45 G 2249** को नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03-02-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाडा (राज.)

